लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करें : कलेक्टर

कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जिले के विभिन्न विभागों में चल रही विकास योजनाओं एवं लंबित संपर्क पोर्टल प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

अलवर, (निसं)। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले के विभिन्न विभागों में चल रही विकास योजनाओं एवं लंबित संपर्क पोर्टल प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करावे साथ ही सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से मिले।

उन्होंने निर्देश दिये कि बजट घोषणाओं के कार्यों को गति प्रदान कर उनका समयबद्ध रूप में क्रियान्वयन कराने के साथ उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में संचालित प्रगतिरत कार्यों की गुणवत्ता विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करावे।

उन्होंने एडीपीएस को निर्देश दिये कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करावे। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में विभागीय स्तर पर अब 90 दिन से अधिक का कोई प्रकरण लंबित नहीं है अतःअब 60 दिवस तक के प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर उनका गुणवत्तापूर्वक त्वरित निस्तारित करें। उन्होंने पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक को निर्देश दिये कि जिले में पर्यटन विकास के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें।

■ 'योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे'

उन्होंने राजीविका की डीपीएम को निर्देश दिये कि महिला समूहों के उत्पादों को परिष्कृत करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिलवाए तथा उनके उत्पादों को उचित प्लेटफार्म प्रदान करावे। उन्होंने महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक को निर्देश दिये कि यूआईटी परिक्षेत्रा की आंगनबाडियों की सूची उपलब्ध करावे ताकि उनका विकास कराया जा सके। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी बैठक में सभी विभाग अपने विभाग में संचालित योजनाओं, प्रगतिरत कार्यों की पीपीटी बनाकर लावे।

संक्षिप्त

सीबीईओ ने स्कूल का निरीक्षण किया

टोंक, (निसं)। देवली उपखंड के दूनी तहसील मुख्यालय स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नई मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा पाराशर ने सोमवार को एसीबीईओ द्वितीय प्रधान लाल मीणा के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर सीबीईओ देवली ने विद्यालय के स्वच्छ, हराभरा व शांत वातावरण देखकर अनायास ही कहा अदभुत, अतुलनीय प्रयास और कहा कि यह सब प्रधानाचार्य और स्टॉफ की निरंतर मेहनत और प्रयास का नतीजा है। उप प्रधानाचार्य अनुराधा कलवार ने बताया कि सीबीईओ देवली ने कक्षा शिक्षण, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, ब्यूटी एंड वैलनेस लैब, वर्कबुक आधारित शिक्षण, पुस्तकालय रजिस्टर, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर मिलान आदि का निरीक्षण किया और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए।

गोवंशों को घायल करने पर रोष

पावटा, (निसं)। गोवंशों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक घायल करने के मामले में हिंदू वीर योद्धा संगठन सहित तमाम समाजसेवियों सहित गौ भक्तों ने कडी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। बीते कुछ सालों से पावटा क्षेत्र के मोहल्लों, मुख्य बाजारों, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 सहित विभिन्न जगहों पर तमाम गोवंशीय पशु तेजाब डाले जाने से घायल घूम रहे हैं। इस मामले में हिंदू वीर योद्धा संगठन सहित तमाम समाजसेवियों सहित गौ भक्तों ने नाराजगी जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की बात कहीं। हिंदू वीर योद्धा संगठन पदाधिकारी संतोष शर्मा व गौ सेवक प्रह्लाद सैन, सुनील पटेल, नितिन मुद्गल सहित गौ भक्तों ने बताया कि हम सब हिंदू समाज से और हमारे हिंदू समाज में और हमारे शास्त्रो मे गौ माता को हमारी पूज्य माता के रूप में वर्णित किया गया है लेकिन कुछ महीनो से लगातार पावटा क्षेत्र में हमारी गौ माता पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक व धारधार हथियारों से वार कर घायल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर कडी कार्रवाई की जाए। वही उन्होंने कहाँ कि नगरपालिका प्रशासन पीडित गोवंश को पकडवा एक निश्चित स्थान पर रखें और इलाज करवाएं।

विकास कार्यों का होगा शिलान्यास व लोकार्पण

पावटा, (निसं)। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह व क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड सहित जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों एवं भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा 5 सितंबर गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में योजना से बनी सडकें व पेयजल योजना कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास समारोहपूर्वक किया जायेगा। जिसमे बडौदिया सडक, गौशाला से खोरा सीमा तक वाया जरया आरएच फार्म सडक निर्माण का शिलान्यास, तालवा सडक से भैरु बाबा मंदिर (बिहाजर) तक सडक निर्माण का शिलान्यास, मेड से जाडोदिया की दाणी की और सडक निर्माण का शिलान्यास, हनुमान शर्मा के घर से शंकर भगवान मंदिर (बाणगंगा की और) पुरावाला सडक निर्माण का शिलान्यास, भैरुपुरा (नवरंगपुरा) में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत पेयजल योजना का लोकार्पण, देवली (सोठाना) में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत पेयजल योजना का लोकार्पण, गाँव चतरपुरा में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत पेयजल योजना का लोकार्पण किया जायेगा।

सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक

चौंमू / कालाडेरा, (निंस) विधानसभा क्षेत्र चौंमू में सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन सोमवार को रजवाडा गार्डन चौंमू में किया गया। सदस्यता अभियान जयपुर ज़िला देहात (उत्तर) ज़िला संयोजक एवं जमवारामगढ विधायक महेन्द्र पाल मीना ने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की।

कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दिनदयाल जी के चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर की। कार्यकर्ताओं ने विधायक महेन्द्र पाल मीना का पार्टी का दुपट्टा ओढाकर स्वागत किया। सदस्यता अभियान संयोजक और विधायक महेन्द्र पाल मीना ने कहा कि सोमवार 2 सितम्बर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस अभियान के अन्तर्गत पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को सहयोग करना है और अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाना है। चौंमू विधानसभा में सदस्यता अभियान के संयोजक नाथूराम जाट और सह-संयोजक नंछुराम यादव और जितेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सदस्यता अभियान के अंतर्गत चौंमू विधानसभा क्षेत्र में 10 हज़ार सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

सदस्यता अभियान को लेकर भाजपाइयों की बैठक आयोजित हुई।

इसके लिए 2 सितम्बर से भाजपा का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल कर भाजपा का सदस्य बना जा सकता है।

इस मोके पर भाजपा ज़िला ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष गोरव यादव, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गजानंद कुमावत, देहात मण्डल कालाडेरा अध्यक्ष बनवारी शर्मा, बाँसा अध्यक्ष श्रीराम शर्मा, गोविन्दगढ़ अध्यक्ष गोपाल डेनवाल, प्रधान रामस्वरूप यादव, भाजयूमो प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता मगन सिंह, बंशीधर यादव, रामरतन मुनीम, कालूराम जाट, दिनेश गौरा, नानुराम सैनी, आशीष दूसाद, कालूराम सेठी, प्रहलाद सेरावत, रामवतार कुलदीप, नांचीलाल शर्मा, महेश शर्मा, तोफ़ान मीना, महेश योगी , मुकेश चौपडा, गजेन्द्र यादव, आलोक जाँगीड, शंकर रेगर, लालचंद यादव, राहुल शर्मा, राजेन्द्र प्रजापत, साँवरमल यादव, संदीप शर्मा, संदीप कुमावत, बजरंग कुमावत, धर्मेंद्र बंजारा, सुरेश गुलिया, कमलेश संत, सुल्तान गुर्जर, बाबूलाल गुर्जर, कुंदन सिंह, मोहन लाल, ओमप्रकाश खाती, योगेश यादव, कालूराम सामोता, प्रेमराज लोचिब, भँवर लाल देवंदा, सोहन कुमावत, ओमप्रकाश कुमावत, सुरेश जाँगीड, सूवालाल सैनी सहित बडी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

■ जमवारामगढ विधायक ने कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की

नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया

कोटपूतली, (निसं)। स्थानीय थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से विगत 10 अगस्त की रात्रि को हुई एक 13 वर्षिय नाबालिग बालिका के अपहरण की घटना का खुलासा करते हुये अपहृत बालिका को दस्तयाब कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल की है। एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि इस सम्बंध में विगत 11 अगस्त को थाना क्षेत्र निवासी एक परिवादी ने दर्ज करवाया था कि उसकी 13 वर्षिय भतीजी 10 अगस्त की रात्रि को घर पर आयोजित एक प्रोग्राम से बिना बताये कही चली गई है। जिसका मोबाईल भी कार्यक्रम स्थल से थोडी दूर पर झाडियों में पडा मिला है। घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुये जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने नाबालिग अपहृर्ता की शीघ्र दस्तयाबी व अभियुक्त को गिरफ्तार करने के निर्देश देते हुये गिरफ्तारी पर 50 हजार रूपयों का ईनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने साईबर सैल की सहायता से नाबालिगा व आरोपी की जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों के साथ-साथ उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश में तलाश करते हुये महाराष्ट्र के नागपुर शहर से दस्तयाब कर अभियुक्त रामकेश (22) निवासी ग्राम निठार थाना बुसावर जिला भरतपुर को गिरफ्तार कर लिया।

कम्यूनिटी पुलिसिंग के निर्देशों की पालना में टोंक जिला मुख्यालय स्थित लाईन पुलिस में अजमेर रैज आईजी ओमप्रकाश वर्मा, एडीजी सचिन मितलल व केकडी पुलिस अधीक्षक विनित बंसल ने टोंक जिले के पुलिस अधिकारियों सहित सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में आईजी अजमरे रैज ओमप्रकाश वर्मा ने कहा कि टोंक जिले में वैसे भी पुलिस प्रशासन को आपका जन सहयोग सकारात्मक रूप से मिलता रहा है और हम आशा करते है कि आगे भी मिलता रहेगा। वर्मा ने कहा कि बडी बडी ड्रग्स कम्पनियां अब एन्टी ड्रग्स के नाम से बाजार में अपना प्रोडेक्ट बचेने को आतुर है जो भी इसका सेवन करता है, उसका जीवन 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ऐसी स्थितियों में आपकी हमे बहुत जरूरत है। जिले में हार्डकोर अपराधियों पर पकड मजबूत की गई है। मुख्य सरगनाओं की धरपकड जारी है, यहां नशीले पदार्थो की बिक्री में महिलायें भी लिप्त पाई गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक टोंक संजीव नेन सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियेां के सभी मीडिया व सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे।

देवनारायण भगवान की पदयात्रा निकली

राजगढ, (निसं)। धार्मिक आस्था के केंद्र टहला स्थित मोती महल मंदिर एवं अन्य स्थानों के मंदिरों से देवनारायण भगवान की पदयात्रा सोमवार को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ प्रस्थान हुई। पद यात्राओं से समूचे कस्बे में देवनारायण भगवान की महिमा की गूंज रही। पदयात्रा से पूर्व विधिवत रूप से पूजा अर्चना के पश्चात भगवान देवनारायण के जय कारे के साथ समूचा माहौल धर्म मय बन गया। इस दौरान संस्थान के रामसहाय गुर्जर एवं अन्य पदाधिकारी की मौजूदगी में पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा का प्रमुख मार्गो में धर्म प्रेमी लोगों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस पदयात्रा में आसपास के दर्जनों गांवों के श्रद्धालु महिला पुरुष देवधाम जोधपुरिया निवाई गए हैं। पदयात्रा 7 सितंबर को देवधाम जोधपुरिया पहुंचेगी। देर रात्रि तक पदयात्रियों का जाना जारी रहा।

दौसा व लवाण में विकास कार्य स्वीकृत करने की मांग का ज्ञापन सौंपा

दौसा, (निसं)। दौसा के पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने सोमवार को यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा से भेंटकर नगर परिषद दौसा व नगर पालिका लवाण में विकास कार्य स्वीकृत किये जाने की मांग करते हुये ज्ञापन सौंपा।

पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने बताया कि वर्तमान में दौसा नगर परिषद में 55 वार्ड है साथ ही दौसा शहर का विकास तेजी से हो रहा है परंतु विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देने के कारण शहरी क्षेत्र के वार्डवासियों को मौलिक सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत लवाण को नगर पालिका में परिवर्तित तो कर दिया लेकिन न तो वहां कार्मिकों के पद स्वीकृत हुए और ना ही बजट सम्बन्धी कोई व्यवस्था हुई। नतीजा ये है कि नगर पालिका लवाण स्वयं के विकास को लेकर चिंतित है।

■ पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने की यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा से मुलाकात

यूडीएच मन्त्री झाबरसिंह खर्रा ने तत्परता दिखाते हुए निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

ऐसे में जनसुनवाई के दौरान शहरी क्षेत्र दौसा व लवाण के आमजन द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को चिन्हित कर मांगपत्र में समावेशित करते यूडीएच मंत्री को मांगपत्र प्रस्तुत किया। इस पर यूडीएच मन्त्री ने तत्परता दिखाते हुए निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। यूडीएच मंत्री ने पूर्व विधायक शंकर शर्मा को आश्वस्त किया कि दौसा के विकास कार्यों की स्वीकृति में कोई कमी नहीं रखी जायेगी। यूडीएच मंत्री ने बताया कि पूर्व में भी जो दिए गए शंकर शर्मा पूर्व विधायक द्वारा दिये गए मांगपत्र को स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 40 शहरों का कायाकल्प के अंतर्गत दौसा शहर को भी शामिल किया गया है।

सार-समाचार

अब दूदू पर ही टिकी सांभर जिला की आस

सांभरझील, (निसं)। सांभर के राजनेताओं ने यदि बीते छह दशकों में ठोस और दमदार तरीके से प्रयास किये होते तो सांभर कभी का ही जिला बन चुका होता। आमजन को यह मलाल पहले भी था आज ज्यादा है। चर्चाओं का दौर अब इसलिए और तेज हो चला है कि इसका जीता जागता उदाहरण महज 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत दूदू को इसका जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं, जहां गहलोत सरकार में मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार रहे पूर्व विधायक ने अपने दम पर बिना किसी आंदोलन के ही जिला घोषित करवा दिया। राजस्थान का सबसे पुराना उपखंड सांभर और यहां भी तमाम न्यायिक व प्रशासनिक कार्यालयों, विस्तृत भूभाग, नवीन भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर, अनेक सरकारी पडे खाली भवनों की मौजूदगी तथा सभी दृष्टिकोण से इसके पक्ष में प्रशासनिक रिपोर्ट होने के बावजूद सांभर को जिला से वंचित होना पडा तो यह यहां के तमाम विधायकों, राजनेताओं को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया तथा धर्म संकट उत्पन्न यह भी हो गया कि दूदू के जिला बनने के बाद सांभर को जिला बनाने की मांग अब कैसे उठाएं, क्योंकि इतनी कम दूरी पर दूसरा जिला बनना नितांत ही असंभव है। गहलोत सरकार के जाने के बाद प्रदेश में आई भाजपा की सरकार के मुखिया ने निवर्तमान सरकार की ओर से जिन नवीन जिलों का गठन किया गया उसकी कमेटी की ओर से मांगी गई रिपोर्ट सरकार को मिल जाने के बाद अब एकमात्र उम्मीद जनता की इस बात पर टिकी है कि दूदू जिले के मापदंड में नहीं आता है तो या तो प्रदेश सरकार दूदू जिला को कैंसिल कर सांभर को जिला घोषित कर सकती है अथवा सांभर-दूदू को जोडकर संयुक्त जिला घोषित कर सकती है। ऐसे अनेक अनुमान विगत कुछ समय से आम जनता ही नहीं बल्कि लोकल लीडरशिप संभाल रहे दोनों दलों के नेताओं की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि सांभर को इतना बडा घाटा होने के बाद भी कोई सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनेता आगे नहीं आ रहे हैं कि सांभर और दूदू को ही जोड दो ताकि किसी न किसी रूप में क्षेत्र की जनता का भला हो जाए अथवा सांभर को ही उसकी पुरानी मांग के आधार पर दूदू को कैंसिल कर नया जिला घोषित कर दिया जाए। फिलहाल क्षेत्र की जनता अब सरकार के नए फैसले के इंतजार में प्यासी नजरों से आस लगाए बैठी है।

अजमेर रेंज आईजी का स्वागत

टोंक, (निसं)। राजस्थान में अजमेर रेंज के नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) ओमप्रकाश का रामाज् रिसोर्ट के ऑनर मोहित टेलर ने राजस्थानी परम्परा से तिलक माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वागत में रामाज् रिसोर्ट की पूरी टीम मौजूद रही। आईजी ओमप्रकाश ने रामाज् रिसोर्ट की खूब तारीफ की तथा उनकी व्यवस्था को सराहा।

SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA

आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड

(सीआईएन: L65922RJ2011PLC034297)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020, राजस्थान, भारत | फोन: +91 141 661 8800 फैक्स: +91 141 661 8861 | ईमेल: info@aavas.in | वेबसाइट: www.aavas.in

सार्वजनिक सूचना

कंपनी की चोमू शाखा को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की चोमू शाखा इस सूचना की तारीख से तीन महीने बाद ग्राउण्ड फलोर, श्री प्रयाग कॉम्प्लेक्स, रेनवाल रोड, ढोली मंडी-चोमू-303702, राजस्थान से पहली मंजिल, इंडियन पेट्रोल पंप के सामने, जयपुर रोड, चोमू, जयपुर, राजस्थान-303702 स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाएगी।

दिनांक: 02 सितम्बर 2024
स्थान: चोमू

आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड के लिए
एसडी/-
शरद पाठक
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निवाई शाखा, टोंक, राजस्थान
फोन नं.: 01438-222401
ई-मेल: newai@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **मैसर्स श्री लक्ष्मी बीज भण्डार प्रोपराईटर श्री राजू लाल पुत्र श्री मोती लाल शर्मा एवं जमानतदार कम बंधककर्ता श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री मोती लाल शर्मा** पर मांग सूचना **दिनांक 26.03.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 23.03.2024 को बकाया राशि रू. 26,85,659.30 (रूपये छब्बीस लाख पचासी हजार छह सौ उनसठ एवं पैसे तीस मात्र) (दिनांक 23.03.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 02, माह सितम्बर, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 23.03.2024 को बकाया राशि रू. 26,85,659.30 (रूपये छब्बीस लाख पचासी हजार छह सौ उनसठ एवं पैसे तीस मात्र) (दिनांक 23.03.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, निवाई शाखा, टोंक, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री मोती लाल शर्मा के नाम आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 4 जो खसरा नं. 886/1, जमात के पास, वार्ड नं. 02, कस्बा निवाई, जिला टोंक, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट या 150.00 वर्ग गज है। सीमाएं- उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: राधाकृष्ण शर्मा का मकान, पूर्व: सीताराम का प्लॉट, पश्चिम: कॉलोनी रोड

दिनांक: 02.09.2024
स्थान: टोंक

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : श्री टावर्स , प्लाट संख्या 14 ए, साउथ फेज, इंडस्ट्रियल स्टेट, गुंदी, चेन्नई - 600032 तमिलनाडु
शाखा कार्यालय :- 65 ए, पहली मंजिल, सूरज नगर (पश्चिम) अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर -302006 राजस्थान

वित्तीय परीसम्पत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग/ सुचना पत्र

निम्नलिखित ऋण धारक तथा सह ऋणधारक/ जमानती / मोर्टगेजर ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड) निचे वर्णित प्रतिभूति ऋण प्राप्त किया था। निचे वर्णित ऋण धारक तथा सह ऋणधारक/ जमानती /मोर्टगेजर का ऋण सम्बंधित संपत्ति को गिरवी द्वारा प्रतिभूत है। चूंकि ये सम्बंधित ऋण अनुबंध के नियमो एवं शर्तो का पालन करने में विफल रहे है तथा इनका ऋण अनियमित हो गया है, अत: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार इनके ऋण को गैर निष्पादित शस्तिया (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। श्रीराम लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड) को उनके द्वारा देय राशि सम्बंधित सूचनाओं के अनुसार वर्णित है जिसका विशेष रूप से विवरण उक्तराशि पर अतिरिक्त लागु होने वाले ब्याज जिसकी वसूली सम्बंधित तिथियों से लागु अनुबंधित दर पर की जायेगी, के साथ निचे तालिका में वर्णित है

उधारकर्ता का नाम और पता	मांग पत्रके अनुसार देय राशि	संपत्ति का विवरण
1) महेश भयाना पुत्र महेंद्र नाथ भयाना , मालिक मेसर्स हर्कुलस जिम, दुकान नंबर - FS-2, प्रथम तल , ए सी मार्किट, आई सी आई सी आई बैंक के सामने, राजापार्क, जयपुर - 302004 राजस्थान महेश भयाना पुत्र महेंद्र नाथ भयाना, मकान नंबर B-113, उदय मार्ग, तिलक नगर, पोस्ट ऑफिस जवाहर नगर, राजापार्क, जयपुर - 302004 राजस्थान महेश भयाना पुत्र महेंद्र नाथ भयाना, मकान नंबर B-111, गोल्डन टावर, उदय मार्ग, तिलक नगर, पोस्ट ऑफिस जवाहर नगर, राजापार्क, जयपुर - 302004 राजस्थान (ऋणी) 2). नीलम भयाना पत्नी महेश भयाना, दुकान नंबर -FS-2, प्रथम तल, ए सी मार्किट, आई सी आई सी आई बैंक के सामने, राजापार्क, जयपुर - 302004 राजस्थान नीलम भयाना पत्नी महेश भयाना, मकान नंबर B-113, उदय मार्ग, तिलक नगर, पोस्ट ऑफिस जवाहर नगर, राजापार्क , जयपुर - 302004 राजस्थान नीलम भयाना पत्नी महेश भयाना, मकान नंबर B-111, गोल्डन टावर, उदय मार्ग, तिलक नगर, पोस्ट ऑफिस जवाहर नगर, राजापार्क, जयपुर - 302004 राजस्थान (सह ऋणी)	ऋण खाता संख्या:- CDJAITF1512300005 डिमांड नोटिस दिनांक:-29-08-2024 के संदर्भ में रूपए Rs- 10409868/- (एक करोड़ चार लाख नौ हजार आठ सौ अड़सठ रुपये मात्र) का भुगतान करने के लिए गैर निष्पादित शस्तिया (NPA) की दिनांक :- 08 - 08 - 2016	दुकान नंबर एफ.एस.-2 पहली मंजिल पर स्थित, ए सी मार्केट, आईसीआईसीआई बैंक के सामने, राजापार्क, जयपुर-302004, जिला- जयपुर, राजस्थान का वह सारा हिस्सा, जो की 14.55 वर्ग मीटर और 156.55 वर्ग फुट का क्षेत्रफल में स्थित है और निम्नानुसार घिरा हुआ- पूर्व से पश्चिम - 4 .77 मीटर उत्तर से दक्षिण - 3 .05 मीटर उत्तर की ओर : दुकान संख्या FS-1 दक्षिण की ओर :दुकान संख्या FS-3 पूर्व की ओर : आम रास्ता पश्चिम की ओर : अन्य की दूकान

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है की इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसकी सम्बंधित तिथियों से उस पर अनुबंधित दर पर ब्याज तथा अन्य लागतो, शुल्क आदि के साथ ऊपर तालिका में दर्शाई गई विवरणों के अनुसार श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड) की बकाया राशि का भुगतान करे जिसमे विफल होने पर अदोहस्ताक्षरकर्ता श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड) की बकाया राशि की वसूली के लिए यहाँ ऊपर वर्णित सम्पति के विरुद्ध (सर्फेसी) वित्तीय परीसम्पत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। पुन: आपको बिक्री /पट्टा अथवा अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति को अंतरित करने से उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत निषिद्ध किया जाता है।

स्थान: जयपुर
दिनांक: 03-09-2024

Sd/-
अधिकृत अधिकारी
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

AU SMALL FINANCE BANK

Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001.
www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on **09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time)** at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

JAIPUR - QUEENS ROAD - 23660001328105 | **JAIPUR-TRIVENI NAGAR** - 23660002088468 | **JODHPUR ITI CIRCLE** - 23660001006012 23660002165553 | **KOTA -GHODE WALA CIRCLE** - 23660002103562 23660002103982 23660002111166 23660002181333 | **NOKHA** - 24660000212449 | **RATANGARH** - 23660002110518 | **SAGWARA** - 23660002098909 23660002117965 | **UDAIPUR - MADHUBAN** - 23660000865341 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

Sd/-
Manager
AU Small Finance Bank Limited

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)

क्रमांक :- जसअ/2024-25/116 दिनांक: 30.08.2024

ई-बोली सूचना सं. 06/2024-2025

नगर निगम ग्रेटर जयपुर में विभिन्न प्रकार के फर्नीचर इत्यादि सामान की आपूर्ति/क्रय कार्य हेतु पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी/अनुभवी संवेदक से दिनांक 12 सितम्बर 2024 को दोपहर 01.00 बजे तक ई-बोली आमंत्रित की जाती है। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर इत्यादि सामान की अनुमानित लागत, बोली अमानता राशि, बोली प्रपत्र शुल्क, आर. आई.एस.एल. शुल्क एवं अन्य सम्बन्धित सूचना/निविदा शर्तो आदि का सम्पूर्ण विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in, www.jaipurmc.org & www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

UBN No. :-JMC2425SLOB00556

उपायुक्त (स्टोर)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

राज.संवाद/सी/24/4535

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(अम्बाबाडी सर्किल,अम्बाबाडी जयपुर)

क्रमांक :- जसअ/2024-25/114 दिनांक: 30.08.2024

ई- निविदा सूचना संख्या 12 से 13/2024-25

केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत ''एए'' व ''ए'' श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यो की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम जयपुर की Web Site www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगीं। SPPP portal UBN No. JMC2425WSOB00529 to JMC2425WSOB00530

अधिशाषी अभियन्ता
विद्याधर जोन
नगर निगम जयपुर (ग्रेटर)

राज.संवाद/सी/24/4534

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे, माणक चौक, बड़ी चौपड़, जयपुर)

क्रमांक :- एफ-19( )/उपा030/ननिजहै/2024/331 दिनांक :- 02/09/2024

ई-निविदा सूचना संख्या 45 व 46/2024-25

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "A" व "AA" श्रेणी के संवदकों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से उद्यान-शाखा से सम्बन्धित कार्यों की ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की बेवसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, www.jaipurmcheritage.org एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर UBN No. JMC2425WSOB00514 To JMC2425WSOB00515 पर देखी व डाउनलोड़ की जा सकती है।

उपायुक्त उद्यान
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

राज.संवाद/सी/24/4548